PUNE RESEARCH SCHOLAR ISSN 2455-314X
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL VOL 5, ISSUE 2

जनजातियों का आवधारणात्मक परिपेक्ष्य

डॉ झब्बूराम वर्मा
सह आचार्य समाजशास्त्र
स्व. राजेश पायलट राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय बॉदीकुई
राजस्थान भारत

प्रस्तावना :–

सिन्हा (1965) ने भी जनजाति और जाति को सतत् सेतु के रूप में देखा है किन्तु उनके विचार अधिक विस्तृत हैं और उन्होंने जनजाति को सभ्यता के माध्यम से समझाया है। उनके अनुसार जनजाति की आदर्श विवेचना, सभ्यता के केन्द्रों से सामाजिक और सांस्कृतिक संचार में पाई गई पृथकता से की जा सकती है। इस पृथक्करण के कारण उनका तकनीकी ज्ञान पिछड़ा हुआ है तथा जीवन निर्वाह झूम कृषि संग्रहण और आखेट जैसे व्यवसायों तक सीमित है। उनकी सामाजिक व्यवस्था, समानता के आधार पर विभाजित है तथा यह पूर्ण रूप से निरक्षर और प्रजातीय परम्पराओं द्वारा संचालित होती है।

ऐसा समझा जाता है कि जहाँ जहाँ सभ्यताएँ पनपी है, जनजातियों की व्याख्या परिभाषा और विश्लेषण उन सभ्यताओं के संदर्भ में ही किया जा सकता है। क्योंकि इन्हीं सभ्यताओं से जनजातियों ने या तो संघर्ष किया है या जिनकी अधीनता मानी है या जिनका अनुकरण किया है। परन्तु जनजातियाँ ऐसी

सभ्यताओं को अनदेखा नहीं कर सकती। भारत में ऐसे कई उदाहरण उपलब्ध है जहाँ जनजातियाँ, जाति व्यवस्था वाले समाज या ईसाई तथा मुस्लिम समाज में मिल गई हैं। वे कृषकों के स्तर पर तथा बागानों खानों और अन्य उद्योगों आदि में वेतन भोगी मजदूर के रूप में भी काम करने लगे हैं। अतरू जनजाति की अवधारणा को समझने से पहले हमें यह परिवर्तन के इन पक्षों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति शब्द का उल्लेख है वैसे इन्हें आदिवासी अर्थात मूल निवासी कहा जाता है। जिसमें भारत की काफी जनसंख्या शामिल है। संस्कृति साहित्य में इन्हें श्अताविकश अर्थात वानवासी या गिरिजन भी कहा जाता है। इनका अपना स्वतन्त्र धार्मिक अस्तित्व है जो इस्लाम एवं वैदिक धर्म से अलग किन्तु तान्त्रिक शौव बाद से मिलता जुलता है। 19 वी शताब्दी के दौरान काफी लोग ईसाई एवं आधुनिक हिन्दु धर्म में शामिल हो गयें। किन्तु यह गौरव की बात है इन्होंने अपने अस्तित्व एवं संस्कृति को पश्चिमी संस्कृति के इतने प्रचार–प्रसार के बाद भी बरकरार रखा है। जनजातियों में भगवान राम, शबरी, शिव और बिरसा मुण्डा को अपना आराध्य माना जाता है।

पूरे विश्व में जनजातियों का अस्तित्व है। यह स्वत जातियाँ है। जिनका फैलाब भारत के उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल राज्यों से मिजोरम आदि पूर्वोतर राज्यों तक है। अनेक छोटे जनजातिय समूह आधुनिकीकरण के परिणामस्वरुप प्रगति कर रहे हैं। इन्होंने कई शताब्दियों से वाणिज्यक दृष्टि से वनों और कृषि सम्बन्धी व्यवसाय को चुन रखा है। जनजाति से तात्पर्य देश के मूल एव प्राचीन निवासियों से है। ये प्रारम्भ से ही दूरस्थ एवं निर्जन स्थानो पर निवास करते है। इसी का परिणाम है कि आधुनिक विकास के साधनों और शहरी सभ्यता का बहुत कम प्रभाव जनजातियों पर पड़ा है। जनजातियों की अपनी विशिष्ट पहचान का कारण भी यही है। जनजाति संस्कृति एक विशिष्ट संस्कृति है। आज के आधुनिक समाज को भी इनसे सीखने के लिए बहुत कुछ दिया है। जैसे

सद्भावपूर्ण एवं मानवतावादी समाज जाति प्रथ दहेज, छुआछूत जैसी बुराईयों का निषेध महिलाओं का ऊँचा सामाजिक स्तर श्रम का सम्मान जीवन का आनंद उठाने स्वतः स्तं प्रवृति आदि प्राचीन काल से ही जनजातियों की अपनी विशिष्ट स्वशासी प्रशासन व्यवस्था थी।

हमारे देश की संस्कृति में जनजातियों का विशेष महत्व लम्बी अवधि तक उपेक्षित अविकसित रहने के कारण स्वतन्त्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 द्वारा राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि उनके द्वारा किसी भी पिछडे आदिम समुदाय को जनजाति घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 365 द्वारा राष्ट्रपति राज्य के राज्य पाल के परमर्ष से जनजातियों की सूची में किसी भी नई जनजातियों के नाम को जोडना एवं निकालने का अधिकार है अतः अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत सूचीबद्ध जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है।

जनजातियों को समाजशास्त्रीयों अन्य विद्वानों ने विविध नामों से उच्चारित किया है। हट्टन इन्हें आदिवासी जाति कहते हैं। जिसका अर्थ देश के वास्तविक निवास टैलेन्ट्स सैजनिक तथा मार्टिन ने इन लोगों को सर्वजीववादी कहा है और सास ने इन्हें पर्वतीय जनजाति का है। इनम दिया है। जबकि जी एस धुर्वे ने इन्हें तथा कथित आदिवासी अथवा पिछडे हिन्दु नाम दिया है। भारतीय संविधान में इनका नाम अनुसूचित जनजाति दिया गया है। एक नाम इनका गिरिजन भी विद्वानों द्वारा दिया गया है। जनजातिय अर्थ को हम निम्न परिभाषाओं के आधार पर समझ सकते है–

1. डॉ. मजूमदार एक जनजाति परिवार या परिवारों के एक समूह का संकलन होता है। जिसका एक सामान्य नाम होता है। जिसके सदस्य एक निश्चित भू भाग में रहते है। समान भाषा बोलते हैं और विवाह व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं।

2. रिवर्स के अनुसार– जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते है। तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं।

3. हॉवेल के मत में एक जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलती है तथा एक विशेष संस्कृति रखता है। जो इन्हें दूसरी जनजाति समूह से अलग करती है। यह अनिवार्य रूप से राजैतिक संगठन नहीं है।

4. चार्ल्स विनिक के अनुसार एक जनजाति में क्षेत्र भाषा सांस्कृतिक समरुपता तथा एक सूत्र में बाँधने वाले सामाजिक संगठन को लेते हैं जो सामाजिक उप समूहों जैसे–गोत्रों या गांवो को सम्मिलित कर सकता है।

5. सिन्हा सन 1980 में जनजाति की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि प्रारम्भ के ब्रिटिश अधिकारियों एवं तत्कालीन बुद्धिजीवियों को ज्ञात हुआ कि कुछ समूह ब्राम्हणीय वर्ण जाति स्तरीकरण के अन्तर्गत नहीं आते है। वे पहाड़ों एवं जंगलों में रहते हैं। यदि ये समूह मैदानी भागों में रहते हैं तो उसका निवास वन के समीप होता है तथा यह ग्राम्य समाज की जातियों से सम्पर्क नहीं रखते हैं इनमें स्तरीकरण नहीं पाया जाता तथा यह अर्न्तविवाह है। यदि कृषि हल द्वारा करते हैं तो शिकार के लिए वनों में जाते है तथा वन्य सम्पदाओं का संकलन करते है। इनमें से बहुत लोग चल कृषि करते हैं तथा कुछ व्यक्ति शिकार एवं खाद्य संकलन द्वारा ही अपनी आजीविका पर निर्भर है। अशिक्षित सुमह जो ब्राम्हणीव स्तरीकृत सभ्यता से बहार में इन्हें अमरिका अफ्रीका और औमानिया में पाये जाने वाली आदिम जातियों की भांति जनजाति की संज्ञा दी गई। पुराने एवं मध्यकालीन ग्रंथों तथा वर्तमान ग्रामीण भारत में जनति के लिए कोई विशेष शब्द नहीं है। ग्रामीण भारत में विभिन्न जातियों एवं जनजातियों को जाति के नाम से ही जाना जाता है बहुत ही कम देखने को मिलता है. कि इन्हें आदिवासी गिरिजन बनवासी या अन्य नामों से सम्बोधित किया जाता है। अधिकांश अपनी जाति के नाम से सम्बोधित किये जाते हैं। जैसे–गोंड, भील, मिम मि–

उपर्युक्त विद्वानों द्वारा दी गई विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर सारांश के रूप में यह कहा जा सकता है कि जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी विशेष संस्कृति होती है। निश्चित भू–भाग होता है। सामान्य भाषा होती है और जो विवाह आदि में विशेष नियमों का पालन करते हैं जनजातियाँ कहलाती है। जनजाति की विशेषताएँ

1. सामान्य भाषा एक जनजाति के लोग सामान्य भाषा का प्रयोग करते है। जिसके माध्यम से वे अपने विचारों का स्पष्टीकरण करते है पीढ़ी दर पीढी यह भाषा हस्तांतरित होती रहती है। इससे उनकी पारस्परिक एकता एवं संगठन विकसित होता रहता है।

2. सामान्य संस्कृति एक जनजाति की सामान्य संस्कृति होती है जिसके अनुसार उनके रीति रिवाज प्रथा कानून नियम खान–पान मूल्य विश्वास एवं लोकाचार आदि में समानता पाई जाती है। सभी इनका समान रूप से पालन करते हैं। जिससे उनके जीवन के तरीके व्यवहार दृष्टिकोण आदि में एकरुपता नियन्त्रित और संचालित होती है।

3. सामान्य भू–भाग–जनजाति की प्रमुख विशेषता यह है कि एक निश्चित भू–भाग में रहती है। जिसके फलस्वरूप इनमें सामुदायिकता की भावना विकसित होती है किन्तु कुछ विद्वानों के मत में जनजाति की यह विशेषता आवश्यक नहीं होती है। वह घुमन्तु समाज भी हो सकते हैं।

4. एक नाम प्रत्येक जनजाति का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। जो उस जनजाति की पहचान होता है। उसी के आधार पर उस विशेष जनजाति की विशेषताएं स्पष्ट होती है।

5. अन्तर्विवाह–जनजाति की एस महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जनजाति के सदस्य सामान्यत अपनी जनजाति से विवाह सम्बन्ध स्थापित करते है। अपवाद रूप में कोई–कोई जनजातियाँ बहिर्विवाह भी हो सकते हैं।

6. सामान्य निषेध मजूमदार ने जनजाति की यह विशेषता बताई है कि एक जनजाति के सदस्य विवाह व्यवसाय खान–पान व उद्योग आदि के नियमों में निषेधता पाई जाती है।

7. राजनैतिक संगठन प्रत्येक जनजाति का एक निश्चित राजनैतिक संगठन होता है। समाज का कोई प्रमुख अथवा वयोवृद्ध व्यक्ति उनका मुखिया होता है। जिनकी आज्ञा का पालन करना सभी का कर्त्तव्य होता है। आज्ञा का मंचन करने पर दण्ड की व्यवस्था रहती है।

8. आर्थिक आत्मनिर्भरता जनजातियों के खान–पान का आधार फल–फूल जंगली जानवरों का शिकार अथवा पशुओं से प्राप्त दुध एवं कृषि आदि होता है। अतः प्रत्येक जनजाति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता है। फल–फूल इकट्ठा करना शिकार करना, पशु चारण एवं कृषि आदि साधनों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेती है साथ ही कभी कभी पडोसियों से विनिमय करके आवश्यकताओं को पूरा कर लेती है। इस तरह वह आत्मनिर्भर होती है।

10. विस्तृत आकार– जनजाति की एक विशेषता यह भी है कि

जनजाति कई परिवार गोत्र, भ्रातुदल व मोइटी आदि में युक्त होती है। इनमें वर्ग समूह होते हैं इसलिए इनका आकार संगठित होता है। नातेदारी के आधार पर इनका सामाजिक संगठन अतिविस्तृत होता है।

11. आर्थिक दृष्टि से पिछडापन– जनजातियों में पाया जाता है इनके सदस्यों में मुद्रा एवं सिक्के वाले अर्थशास्त्र के सम्पूर्ण महत्व का ज्ञान नहीं होता है।

राज्य की जनजातियों का लगभग 96 प्रतिशत भाग ग्रामीण तथा शेष 4 प्रतिशत भाग शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। भौतिक सुख सुविधाओं से अपरिचित वैज्ञानिक विकास से दूर वर्तमान फैशन काल की चकाचौंध से अनभिज्ञ और सामाजिक संपर्क की अल्पता से उपजे शांत एवं एकाकी परिवेश में जीवनयापन करने वाली राजस्थान की जनजातियाँ आज भी परंपरागत सामाजिक मूल्यों व संस्कारों पर टिकी हुई है। इन जनजातियों के अद्भुत रीति रिवाज, रहन–सहन,आचार–विचार और परम्परागत जीवन मूल्य सामाजिक विकास के प्रारम्भिक स्रोतों का वर्तमान उदाहरण है। राज्य में रहने वाली जनजातियों के लोक नृत्यों तथा लोक कथाओं के माध्यम से इनकी सामाजिक मर्यादा और विशिष्ट जीवन पद्धति का सरलता से बोध किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची

1 जनजातीय भारत
2 भारत की जनजातियाँ
3 भारत में सामाजिक आन्दोलन
4 योजना
5 कुरूक्षेत्र
6 राजस्थान पत्रिका
7 दैनिक भास्कर